Classes Finance Development Corporation for the welfare of backward classes. The amounts are very inadequate. What is the basis of providing funds for the welfare of backward classes? Is it done on the basis of population just as it is being done in respect of Scheduled Castes and ScheduledTribes? If not, why?That is one thing. The Government of India is interested in the welfare of the backward classes who are below the poverty line, but the State Government of Andhra Pradesh is not providing even stipends to the backward class students, studying in high schools and colleges. And they say, there is dearth of funds! Therefore, how are we going to help the students of backward classes to carry on their education in colleges and also in high schools?

SHRI K.V. THANGKA BALU: Sir, the hon. Member is right that according to the population, we are not allocating funds so far. Sir, this is a new Corporation which has come into being to help the backward communities at large. Recently, our Government has enunciated a Reservation Policy. Apart from reservation, another thing is social development. That is one of the main factors; that is why this Corporation has come into being. And we have requested all the State Governments to prepare and submit proposals lor the welfare and development oi backward classes and communities and ask funds for them. We want that the State Governments should come forward and ask. There is no second opinion. As and when the State Governments want our help, we are willing to give in whatever from they want it. And particularly regarding Andhra Pradesh Government asked for funds worth Rs. Ucrores for a number of schemes and we had sanctioned the full amount and they are utilising them very effectively. Their system is very effective and ihe State Government has set a model for the country, 1 must say here.

Regarding his second question, whether we are going to allocate funds'for the backward classes according to their population. Sir, the backward classes population is over 50 per cent. At the moment, we have no idea. It is a need and we will certainly try to examine the proposals of the hon. Member.

Restrictions on movement of foodgrains

*323 SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there are any restrictions on the movement of foodgrains in the country;

(b) the manner in which Government ensures that there is no regional disparity in the availability of foodgrains in the country; and

(c) the detailed plans made for the proposed
food security scheme.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) In March, 1993, Central Government advised all the States/UTs. to remove all types of movement restrictions on foodgrains. In response to this, all the States/UTs, excepting West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and J & K, have either removed the existing movement restrictions on paddy/rice or have intimated that there exists no movement restrictions on foodgrains. The State Governments of Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu and J & K, are being persuaded to remove the restrictions.

(b) Allocations of wheat and rice from Central pool to various States/UTs for the PDS/ RPDS are made on month to month basis, having regard to the stocks available, seasonal availability, relative needs and off-take trends. The allocations from Central Pool are supplemental in nature and not meant for meeting the entire requirements of State Governments and UTs. The Central Government has also undertaken open sale of wheat and rice in different parts of the country to meet local requirements.

Besides, removal of all restrictions on the movement of foodgrains will help in better distnoution and availability of foodgrains all over the country.

(c) The concept of food security is basic to planning for production, stocking and distribution of foodgrains. A constant watch is kept on the production levels and stocks of foodgrains and efforts are made to have sufficient foodstocks in Central Pool to ensure adequate availability of foodgrains.

« **श्रीमती कमला सिन्हा**: सर,मंत्री महोदय का जवाब जो पटल पर रखा गया हैं वह सही नहीं हैं,बहुत हे मिसलीडिंग हैं । 1993-94 के बजट भाषण में यह कहा गया था कि अनाज का आवागमन मुक्त कर दिया जा रहा हैं,फ्री फूडग्रेन मूवमेंट होगा । उसके बाद 1994-95 के बजट भाषण में फिर से कहा गया । लेकिन वस्तुस्थिति यह हैं कि हरेक प्रांत में जिले के अन्दर भी अनाज का आवागमन,अनाज का भेजा जाना रोका जाता हैं और प्रांत की सीमा पर भी रोका जाता हैं । अब रेवेन्यु डिपार्टमेंट वाले रोकते हैं,सेल्स डिपार्टमेंट वाले,सेल्स टैक्स वाले, पुलिस वाले रोकते हैं,इसैंशल कमीडिटीज़ सिविल सपलाईज़ डिपार्टमेंट वाले रोकते हैं,तो मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि सरकार का कौन का कथन सत्य हैं? 93-94 वाला या 94-95 वाला जो आज दो देश में सही हालत हैं,वह सही हैं?

श्री बलराम जाखड़: सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया,उस में दोनों बाते सही हैं । आप पूछेंगे कि कैसे ? किसान चाहता था,उसकी जह मांग थी कि अगर इंडस्ट्रियल गुड्स का खुले आवागमन की हर जगह छूट है तो किसान की पैदावार को क्यों न हो? उसी को मुद्दे नजर रखते हुए एग्रीक्लचर मिनिस्ट्री ने मूव किया था और फूड मिनिस्ट्री ने उस बात को मानकर उस हिसाब से 26 मार्च,1993 को फैसला किया और लागू करने की बात कही गई कि देश में जहां-कहीं भी अनाज पैदा हो,उस को देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता हैं और जाना चाहिए । इस में जहां तक हमें इतला प्राप्त हुई हैं यह सही हैं । वेस्ट बंगाल,आंध्र प्रदेश,तमिलनाडु और चौथा जे,एंड के. जहां कि प्रश्न पैदा नहीं होता आने-जाने का क्योंकि उन के पास फालतू नहीं हैं । वहां उन्होंने बंदिश लगा रखी हैं । कोशिश की गयी हैं उन को ठीक रास्ते पर लाने की कि यह काम ठीक नहीं है,गलत हैं । इस के पश्चात अगर वह ठीक रास्ते पर नहीं आते तो मैं चाहूंगा आप की मदद से और फूड मिनिस्ट्री से कहूंगा कि वह जो भी संशोधन कर सकें,जिस तरीके से भी और जैसे भी कानून में वह बात पैदा कर सकें,वह करना चाहिए क्योंकि अगर किसी स्टेट ने या सरकार ने किसी भी तरीके से सस्ता अनाज मुहैया करना हैं तो किसान के कंधे पर लादने की आवश्यकता नहीं हैं । वह अपने रिसोर्सेस से दें । हमें वह उस तरीके से इस्तेमाल न करें कि हमारे कंधे पर भार हों । मैं आप से और हाउस से भी यही बात कहना चाहता हूं कि हमारी यह पक्की राय हैं कि इस आवागमन में किसी की भी अड़चन नहीं होनी चाहिए । इस के लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति जी,मंत्रीजी ने जो जवाब दिया हैं,यह जवाब भी हेतु मदमून हैं । उन्होंने अपनी समस्या हमारे कंधे पर लाद दी हैं । सभापति जी,मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहती हूं यह सही हैं कि जिन अंचलों में अनाज ज्यादा उत्पादित होता हैं वहां से दूसरी जगह भेजा जाता हैं,लेकिन सरकार की ओर से एक आर्टीफिशियल व्यवधान पैदा किया जाता हैं जिस के कारण "इन रिजल्ट होता यह हैं कि उपभोक्ता हैं जिस को कि अनाज चाहिए,उस को मुसीबत होती हैं,किसान को उस का उचित मूल्य नहीं मिलता हैं और आर्टीफिशियल प्राइस राइज हो जाती हैं जिससे कि बिचौलिया माल कमाता हैं ।सभापति,महोदय,जैसा जीना हमारा फंडामेंटल राइट हैं,उसी तरह से जीन के लिए पानी,हवा और अनाज-ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं उन के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अनाज को फंडामेंटल सामग्री मानकर इस के एक जगह दे दूसरी जगह भेजने के रास्ते में जो भी कठिनाई आए,क्या उस को दूर करेगी?

श्री बलराम जाखड़:इसी चीज को मुद्दे नज़र रखते हुए मैंने कहा । अगर पंजाब में बाजरा ज्यादा होता हैं तो वहां उस का भाव कम होगा । मद्रास में अनाज कम होता हैं,वहां ज्यादा भाव होगा और बीच वाला खा जाएगा । इसे ध्यान में रखते हुए यह किया गया था कि खुली आवाजाही हो । उस में किसी किस्म की बंदिश न हो । यह बात उन लोगों को कहना चाहता हूं । मैं चाहूंगा कि सारा सदन भी कहें,सरकारों को भी कहें कि अगर तुमने कोई नेक काम कर के वाह-वाही करवाना हैं तो किसान के कंधे पर बंदूक मत चलाइए । अपने पैरों पर खड़े हो और अपने रिसोर्सेस पैदा करो । हमारे कंधे पर लादकर वाहवाही क्यों लेना चाहते हो? दो रूपय बेचना चाहते हो,पांच रूपय बेचना चाहते हो,यह बिल्कुल गलत हैं । यह चीज मेरी समझ में नहीं आती कि किसानों को क्यों गधा बनाया जा रहा हैं?

मौलाना औबैदुल्ला ख़ान आज़मी : सूबाई हुकूम । अगर ऐसा कर रही हैं तो ...(**व्यवधान**)....क्या करेंगे ? आप उन को कानूनों को शिकंजे के क्यों नहीं कस रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़: एक बात होती हैं,कुछ चीजें होती हैं जोकि समझ की होती हैं । यह एक समझ की बात हैं,तो हमें करनी चाहिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी,प्रश्न के"ख" भाग में लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कहा हैं कि आप राज्यों को पी.डी.एस.में बेचने के लिए गेहूं और चावल एलोकेट करते हैं और उसके साथ ही आपने कहा हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खुले बाजार में भी अनाज,गेंहू और चावल शुरू कर दिया हैं । ...(**व्यवधान**)

श्री जगेश देसाई: सस्पेण्ड कर दिया हैं । It has been suspended from the 31st July this year.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर,आइडेंटीफाई तो आपने मुझे किया हैं मैंने तो अभी लिखित उत्तर बताया हैं । अगर सस्पेण्ड किया,तो उन्होंने इसमें लिखा नहीं हैं । मैं उनका उत्तर पढ़कर सुना देती हूं ।

> "The Central Government has also undertaken open sale of wheat and rice in different parts of the country to meet the local requirements."

सस्पेंशन का कोई ज़िक्र नहीं किया हैं उन्होंने बात कही हैं,मैं उसी के आधार पर पूछना चाहती हूं,सभापति जी,कि दो तरह की चीजें यह राज्य सरकारों को कह रहे हैं, पू.डी.एस.से बेचने के लिए एलोकेट करते हैं और ओपेन सेल में भी बेच रहे हैं वहां । इन दोनों के दामों में क्या अंतर हैं? यानी जो स्टेट को आप एलोकेट करते हैं वह किस दाम पर करवाते हैं राज्य सरकार को,और जो ओपेन सेल में बेच रहे हैं वह किस दाम पर बेचा जाता हैं? इन दोनों का अंतर आप बताइए ।

श्री बलराम जाखड़: वह पी.डी.एस. को जो दाम नियमित किया जाता हैं उसी पर दे देते हैं उनको और बाकी Open sale means open sale.

श्रीमती सुषमा स्वराज: यही इस में पेच हैं कि पी.डी.एस.और ओपेन के दाम में कोई अंतर रह नहीं गया ।

श्री बलराम जाखड़: तो अच्छा हैं,न

श्रीमती सुषमा स्वराज: अच्छा कहां से हैं । ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: और क्या ? अगर हमारे पास फालतू अनाज हैं तो दे देते हैं । ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी,अगर ओपेन सेल और पी.डी.एस.के भाव में अंतर नहीं होगा ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : सर,जगेश देशाई जी जो कह रहे हैं,यह भी ठीक हैं कि 31 जुलाई तक था यह,लेकिन अभी भी अंडर कंसीड्रेशन हैं ।यह कंसीड्रेशन में हैं क्योंकि आंइदा भी इस सेल को जारी रखने के लिए मसला आ रहा हैं । तो फिर इसको दुबारा देखेंगे । ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह जगेश जी के लिए उनका जवाब हैं । मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: अरे,सोच रहे हैं दुबारा इस पर और जल्दी फैसला होने वाला हैं । ...(**व्यवधान**)....

डा.मुरली मनोहर जोशी: सर,इसमें एक तो वह बात पैदा होती हैं,जो उन्होंने सवाल किया हैं और दूसरा यह हैं कि आप अगर इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...आपने दोनों का दाम बराकर कर दिया तो गरीब आदिमियों के लिए मुसीबत हो गई क्योंकि आपके ओपेन मार्केट का जो रेट हैं उसमें अंतर नहीं,जैसा सुषमा जी ने बताया । वही बात हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री बलराम जाखड़: देखिए,ऐसा हैं कि जो पी.डी.एस.में दे रहे हैं वह तो जितनी वह मांग देते हैं वह दे देते हैं,लेकिन जो और मार्केट में देते हैं उसका मतलब यह थोड़े ही हैं कि कोई खरीदे,उसको भाव ज्यादा जगाना हैं । वह तो जो पी.डी.एस.में हैं वह खरीदे । उसके लिए मजबूरी नहीं हैं कि वह ओपने सेल से ले । ओपेन सेल इसलिए करते हैं कि हमारे पास फालतू हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप जिस आर्थिक नीति की दुहाई दे रहे हैं,पी.डी.एस. ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer. *(Interruptions).* Don't convert it into a debate.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर,राशन की दुकान पर अगर 6/-रूपए किलो गेहूं बिकता हैं तो पी.डी.एस.चलाने का क्या फायदा हैं? यह मेरा सवाल हैं । जब तक आप बाजार भाव से इसका भाव कम नहीं करेंगे तब तक पी.डी.एस.का गरीबों को लाभ नहीं होगा ।

श्री बलराम जाखड़ : वह तो बाजार भाव से कम हैं ही । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं हैं । यही तो मैं जानना चाह रही हूं ।

MR. CHAIRMAN: Shri Som Pal. *(Interruptions).* I have called the name of Shn Som Pal.

श्रीमती सुषमा स्वराज: पी.डी.एस.में 6/- रूपए गेहूं बिकता हैं । आप इसका अंतर नहीं बता रहे है । जब तक आप कंफर्म नहीं बताएंग कैसे पता चलेगा ।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, she has put a very important question. She wanted to know whether the price for the open market sale and for the PDS is same or it is different. If it is different, what is the difference? This is the question.

श्री बलराम जाखड़: सिविल सप्लाई मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं,उनकी भी यही राय हैं ओर उनकी बात यह हैं कि जो हम पी.डी.एस.में देते हैं वह दूसरे से सस्ता करके देते हैं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कितना सस्ता देते हैं? अंतर ही तो मैं जानना चाह रही हूं। अगर 20 पैसे सस्ता देते हैं तो क्या सस्ता देते हैं ? पी.डी.एस.मैं 6/- अगर देते हैं और 6 रूपए 20 पैसे बाजार में बिक रहा हैं तो क्या मायने हैं? अंतर ही तो मैं जानना चाह रही हूं।

श्री बलराम जाखड़: सबसिडाइज करके दिया जाता हैं। उसका आप भेज दीजिए ...(**व्यवधान**) ...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं अंतर जानना चाह रही हूं। मंत्री जी,आप यह बता दीजिए कि कितना अंतर हैं?

MR. CHAIRMAN: Finally, the Minister has taken your advice.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): Sir, the hon. Member is right. Sir, under the PDS, foodgrains are sold on issue sale price which is fixed by the Government. But, in the open market the price is governed by competition. There are two things. Under the PDS one has to stand in a queue to get cetain things and he cannot buy whatever he wants. *(Interruptions).*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर,यह तो हमें भी पता हैं। यह महकता मेरे पास रह चुका हैं। जो चीज आप बता रहे हैं,वह मुझे भी मालूम हैं। ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions).*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I want to know the difference.

पी.डी.एस.की दुकान पर बिकने वाला गेहूं सस्ता या नहीं हैं? ...(**व्यवधान**)

SHRI BUTA SINGH: Sir, there is slight variation. बहुत थोड़ा फर्क हैं। The price variation is very marginal. So, people prefer to go to the open market, which is a welcome thing. On the contrary, Sir, the foodgrains offered to the States are not being lifted by the State Governments themselves. There is no dearth of foodgrains. That is why... *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्योंकि पी.डी.एस.में सस्ता नहीं हैं ...(**व्यवधान**)

SHRI BUTA SINGH: And, the price variation is not much. Therefore, ...*(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपका जवाब मेरी बात को फालो नहीं कर रहा हैं। ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Please. I have called the next Member. *(Interruptions)*

SHRI SOM PAL: ...It is not the P.D.S., therefore, Sir, ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: You please ask your question.

SHRI SIKANDER BAKHT: The answer is not coming. I am very sorry, Sir. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: But the question relates to another Minister's portfolio ...*(Interruptions)*

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): It is very strange, Sir. I am not asking for anything...*(Interruptions)* Why is it not his portfolio, Sir; The point is that the straightforward answer is not coming. What is the difference in the two prices? What is the difference? It is a very simple question. The simple answer is not coming. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The difference is because the market price is ....*(Interruptions)*...and so, there is no fixed price. *(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, as I understand it, for one you have to stand in the queue and for the other you don't havt to! That is the only difference that they are telling us. But that is not the difference; The difference is in the price.

MR. CHAIRMAN: The difference in price is determined by the market in one place and in another place it is determined by the Government. ..*(Interruptions)*

SHRI SOM PAL: But what is that price fixed by the State?

MR. CHAIRMAN: It varies from State to State obviously. *(Interruptions)* No. I am not converting it into a debate, please.

SHRI SIKANDER BAKHT But the answer must come, Sir. *(Interruptions)*

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय,खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त रूप से ले जाने की बात का विचार बहुत दिनों से चल रहा हैं और उसका कारण यह हैं,उसका तर्क यह हैं कि जहां सरप्लस फूड ग्रेन पैदा होता हैं,खाद्यान्न अधिक पैदा होता हैं वहां से उन राज्यों में यह भेजा जाता हैं जहां खाद्यान्न कम पैदा

T होता हैं । एक तरफ तो उत्पादक को दाम कम मिलता हैं और दूसरी तरफ उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे पड़ जाते हैं जिसमें अनावश्यक और अवैधंनिक रोक की बात भी हैं,उसके ऊपर उन्हें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती हैं,उससे खर्चा बढ़ जाता हैं । 1993-94 की बाढ़ मैं आपको बताऊं कि पंजाब में 3.40 रूपए गेहूं का भाव था और बम्बई में 7.50 रूपए से 11.00 रूपए तक उसका भाव था । इसीलिए उसको मुक्त किया गया था परन्तु जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को तो अनाज लाने-ले जाने की छूट हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि पजांब का या हरियाणा का किसान,किसके पास इतना खाधान हैं, किसके पास इतना ट्रासंपोर्ट हैं या ग्राहक को ढूंढने की किसके पास सुविधा या संसाधन हैं कि वह हरियाणा से ले जाकर उसको बम्बई में बेच दे ? जब तक आप खाद्यान्न के ऊपर,उसकी मूवमेंट के ऊपर से सारी पाबंदी नहीं हटाएंगे,तब तक यह काम ठीक होने वाला नहीं हैं । तो मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसा कि कमला सिन्हा जी ने कहा कि यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं,इसके बगैर जीवन चल नहीं सकता,क्या इसको व्यक्ति का मूल अधिकार मानकर,अनाज को कोई कहीं ले जाए,इसके लिए केन्द्रीय सरकार कोई कानून लाना चाहेगी? कृषि जी ने यहां पर बड़ी विवशता प्लीड की हैं,बड़ी कमजोरी दिखाई हैं और यह मामला भी हमारे जिम्मे कर दिया हैं । अगर आप लाएंगे,मैं सदन के बिहाफ पर,खासकर अपोलीशन के,आपको वचन देता हूं कि हम उसका समर्थन करेंगे । आप इसको मूलभूत अधिकार मानकार उसका मूवमेंट बिल्कुल फ्री करें । क्या आप कोई लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं इसके लिए और यह हमारी कृषि समिति की सिफारिश भी हैं?

श्री बलराम जाखड़: मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं,इसमें कोई दो रायें ही नहीं कि बीच में से किसान ज्यादा अकेला नहीं ले जा सकता हैं,लेकिन अगर उसको आवाजाही की छूट दे दी जाए तो भाव कंज्यूमर को,ठीक हैं,सस्ता मिलेगा और पैदा करने वाले को ज्यादा मिलेगा ।

श्री सोमपाल: आप इसको तोड़िए-मरोडिए मत मंत्री जी

It is very specific question whether you would like to bring a law recognising it as a fundamental right and make it completely free of all restrictions. *(Interruptions)*

श्री बलराम जाखड़: इससे बड़ा फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकता जीवन में कि अनाज मिले ।

श्री सोमपाल: क्यों नहीं हो सकता ?

श्री बलराम जाखड़: इससे बड़ा क्या राइट होगा कि अनाज मिलना चाहिए ।

श्री सोमपाल : मंत्री जी यह तो कोई बात नहीं हैं ।

SHRI BALRAM JAKHAR: No. It is a fundamental right.

We must have it. There is no question about that. I agree with you

कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए,इसमें कोई झगड़ा नहीं हैं । मैं तो एक बात चाहता हूं कि

I will strive to get that Bill straightaway.

यह कानून भी पूरा बनाया जाए जिसमें स्टेट्स भी उल्लंघन नहीं कर सकें ।

I am for that.

श्री सोमपाल: इसीलिए मैंने केन्द्रीय कानून की बात कही हैं ।

There, I am pleading for a Central legislation. And, for that the States are also bound to it.

श्री बलराम जाखड़: यही तो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए मैं पूरे तौर पर प्रयत्न करूंगा कि यह कानून आए जिससे कि स्टेट बीच में टांग अड़ाए ही नहीं । अभी इसके लिए फूड मिनिस्ट्री से करना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसके अधीन आता हैं । ...(**व्यवधान**)...यह प्रश्न देने वाले ने भी भूल की हैं और इन्होंने,एडमिट करने वालों ने भी भूल की हैं,दोनों ने भूल की हैं ।

SHRI S.S. SURJEWALA: Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Union Agriculture Minister for removing all restrictions in the movement of foodgrains. But, at the same time, I would like to know from the Minister whether he is aware that the Railways have refused to book piecemeal wagons and they say that they will only book rakes. Even the small traders are not able to move rake, and, therefore, the movement of foodgrains is restricted, indirectly by the Railway Ministry. Will the Agriculture Minister take up with the Railway Ministry the issue of providing piecemeal wagons to farmers and traders so that foodgrains can be moved?

SHRI BALRAM JAKHAR: Sir, we have already been trying for that...(*Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Request by Government of Kerala for increasing assistance

*324. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Government of Kerala
has requested for increase in assistance for cutting and removal of rootwilt affected coconut
palms in Kerala; and

(b) whether any decision has been taken on it and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ITDA's Lack of Coordination

*325. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ITDA offices all over the country are not adequately coordinating their work with the local blocks;

(b) if so, the reasons for the neglect;

(c) the directions given to ITDA offices in different States to consult and coordinate their work with the local Mandal or Block offices; and

(d) the details of the steps proposed in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The I.T.D.A. offices try their best to coordinate with local agencies including Blocks, though there could be working difficulties in some cases.

(c) and (d) The Central Government has impressed upon the State Governments the desirability of empowering the Project Officers to have control over the Block Development Officers as they have been entrusted with the responsibility of implementation of various development programmes for the Scheduled Tribes.

जातियों की सूची में क्षेत्रीय विषमता

*326. **श्री राम देव भंडारी**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके नाम,व्यवसाय,रहन-सहन एक समान होते हुए भी वे एक राज्य में अनुसूचित जाति और दूसरे राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्व की गई हैं;

(ख) यदि हां,तो ऐसी जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस विषमता को समाप्त करना उचित समझती हैं;और

(घ) यदि हां,तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसे कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) समुदायों को अनुसचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में सूचीबद्व करने का कार्य प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदण्डों के अर्हक मानदंडों के आधार पर किया जाता हैं। किसी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकता हैं जिसके कारण एक समुदाय एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति और दूसरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग हो सकता हैं।

(ख) ऐसे नमूने मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं। (**नीचे देखिए**)

(ग) तथा (घ),(ग) में दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।